न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/1813

1. श्रीमती ओम कंवर पुत्री स्व. श्री ईशर सिंह धर्मपत्नी श्री जितेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धोराला, तहसील चाकसू, जिला जयुपर हाल निवासी मकान नम्बर 34, राजपूतों का बास, ग्राम सूरियास वाया निम्बड़ी कलां, तहसील डेगाना जिला नागौर।
2. श्रीमती सायर कंवर धर्मपत्नी स्व. श्री ईशर सिंह,
3. राजपाल सिंह पुत्र स्व. श्री ईशर सिंह,
4. श्रीमती राजू कंवर धर्मपत्नी श्री राजपाल सिंह,
5. रामसिंह पुत्र श्री औंकार सिंह, समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम धोराला, तहसील चाकसू, जिला जयपुर

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री हिमांशु सोगानी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/1814

1. श्रीमती ओम कंवर पुत्री स्व. श्री ईशर सिंह धर्मपत्नी श्री जितेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धोराला, तहसील चाकसू, जिला जयुपर हाल निवासी मकान नम्बर 34, राजपूतों का बास, ग्राम सूरियास वाया निम्बड़ी कलां, तहसील डेगाना जिला नागौर।
2. श्रीमती सायर कंवर धर्मपत्नी स्व. श्री ईशर सिंह,
3. राजपाल सिंह पुत्र स्व. श्री ईशर सिंह,
4. श्रीमती राजू कंवर धर्मपत्नी श्री राजपाल सिंह,
5. रामसिंह पुत्र श्री औंकार सिंह, समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम धोराला, तहसील चाकसू, जिला जयपुर

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री हिमांशु सोगानी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

दिनांकः 02.02.2026

निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2025 (प्रकरण संख्या 32/2024 व 36/2024) से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई। प्रकरण की विषयवस्तु एवं प्रश्नगत भूमि समान होने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम धोराला, तहसील चाकसू जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 16 पुराना खाता संख्या 13 के खसरा नम्बर 229 लगायत 232 तथा भूमि हाल खसरा नम्बर 328 लगायत 330 कुल किता 7 कुल रकबा 4.1400 हैक्टयर में ईशर सिंह पुत्र भूर सिंह का अविभाजित हिस्सा 167/1635 रहा तथा कृषि भूमि नया खाता संख्या 8 पुराना खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 100 लगायत 105, 95 लगायत 99 कुल किता 11 कुल रकबा 3.8200 हैक्टयर जिसमें ईशर सिंह पुत्र भूर सिंह का अविभाजित हिस्सा 1/5 रहा। इसी प्रकार ग्राम चकशिवदासपुरा नम्बर 2, तहसील चाकसू जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि के नया व पुराना खाता संख्या 2 के खसरा नम्बर 37 लगायत 40, 70 व 74 लगायत 76 कुल किता 8 कुल रकबा 3.9300 हैक्टयर हिस्सा सम्पूर्ण कृषि भूमि का ईशर सिंह पुत्र भूर सिंह खातेदार काश्तकार रहा।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि अपीलार्थी संख्या 1 के पिता तथा अपीलार्थी संख्या 2 के पति व 3 के पिता ईशर सिंह पुत्र भूर सिंह का देहान्त दिनांक 08.03.2024 को हो गया है, जिसके पश्चात् उनकी विरासत के सम्बन्ध में नामान्तरकरण खोले जाने हेतु एक आवेदन अपीलार्थी संख्या 1, 2 व 5 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू के समक्ष एक वसीयत दिनांक 14.02.2024 के आधार पर प्रस्तुत किया और स्व. श्री ईशर सिंह की विरासत का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर अपीलार्थी संख्या 1, 2 व 5 के हक में बराबर–बराबर खोले जाने का निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 32/2024 उनवानी ओम कंवर बनाम सरकार दर्ज किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी संख्या 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने हेतु वसीयत दिनांक 30.07.2021 के आधार पर प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रकरण संख्या 36/2024 राजू कंवर बनाम राजस्थान सरकार दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों प्रकरणों को कन्सोलीडेट किये जाने का निर्णय पारित किया और दोनों ही प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण प्रारम्भ किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी संख्या 1, 2 व 5 ने एक आवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 ने किसी भी वसीयत के आधार पर कोई नामान्तरकरण खोले जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया और अधीनस्थ न्यायालय से गुजारिश की कि मृतक ईशर सिंह के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों अपीलार्थी संख्या 1 2 व 3 के हक में ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का बल्लूपुरा व पटवारी हल्का बाड़ा पदमपुरा से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में और मृतक खातेदार ईशर सिंह की विरासत के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये। जिस पर उक्त पटवार हल्का द्वारा बाद जांच सजरा व मौका फर्द तैयार की गई जिसके अनुसार ईशर सिंह पुत्र भूर सिंह के वारिसों में अपीलार्थी संख्या 1 पुत्री ओमकंवर, अपीलार्थी संख्या 2 धर्मपत्नी सायर कंवर एवं अपीलार्थी संख्या 3 पुत्र राजपाल सिंह को होना बताया गया। उन्हाने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने एक–दूसरे के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों में जवाब प्रस्तुत किये और एक–दूसरे के आवेदनों को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। कालान्तर में सभी पक्षकारान के मध्य दिनांक 27.10.2025 को राजीनामा हो गया और आपसी सहमति के आधार पर एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर पक्षकारान ने दोनों के आवेदनों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया और मृतक ईशर सिंह पुत्र भूर सिंह की विरासत का नामान्तरकरण उसके प्राकृतिक उत्तराधिकारियों अपीलार्थी संख्या

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

1 लगायत 3 के हक में तस्दीक किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विड्रोल प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित करते हुये यह निर्देश दिये कि प्रकरण विवादास्पद है। अतः समक्ष न्यायालय से प्रोबेट जारी करवाने के उपरान्त ही नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना संभव है और प्रोबेट जारी नही होने तक किसी प्रकार का अमल–दरामद नही किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2025 पारित किया गया है, जो तथ्यों एवं कानून के विपरित वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया गया, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र बाबत विड्रोल पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को जरिये विड्रावल फैसल शुमार किये जाने की कृपा करें और पक्षकारान ने न्यायालय से निवेदन किया कि राजीनामें के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के आवेदन पर प्रकरण को विड्रा कर फैसल शुमार किया जाने की जगह प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 31.10.2025 पारित करने में तथ्यात्मक एवं क़ानून गंभीर त्रुटि कारित की गई है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू को इस तथ्य की पुख्ता ज़ानकारी रही है कि मौजूदा प्रकरण में सभी पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है और केवल प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के हक में ही नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किया गया है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि जब अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष सभी पक्षकारान ने उनके आवेदन को विड्रा किये जाने हेतु निवेदन किया तब ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी अवस्था में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने का अधिकार नही रखते थे और उनके लिये यह आवश्यक था कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करें परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2025 पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2025 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक ईशर सिंह पुत्र भूर सिंह की विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार स्व. श्री ईशर सिंह पुत्र भूरसिंह द्वारा प्रश्नगत भूमि की एक वसीयत अपीलार्थी संख्या 1, 2 व 5 के पक्ष में तहरीर की गई है तथा दूसरी वसीयत अपनी पुत्रवघु अपीलार्थी संख्या 4 के पक्ष में की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो वसीयत आने के कारण एवं पक्षकारान के मध्य वसीयत को लेकर विवाद होने के कारण ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2025 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार स्व. श्री ईशर सिंह पुत्र भूरसिंह द्वारा प्रश्नगत भूमि की एक वसीयत अपीलार्थी

P.T.O.

संख्या 1, 2 व 5 के पक्ष में तहरीर की गई है तथा दूसरी वसीयत अपनी पुत्रवधु अपीलार्थी संख्या 4 के पक्ष में की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो वसीयत आने के कारण एवं पक्षकारान के मध्य वसीयत को लेकर विवाद होने के कारण ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2025 पारित किया गया है। चूँकि अब पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है एवं प्रश्नगत भूमि के सभी वसीयतग्रहिता अपीलार्थीगण हस्तगत अपील प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण विरासत के आधार पर खुलवाना चाह रहे है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2025 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से किये गये समझौते के आधार पर प्रश्नगत भूमि के खातेदार ईशर सिंह पुत्र भूर सिंह की विरासत का नामान्तरकरण उनके वारिसान के नाम तस्दीक किये जाने की विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।